न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 161/2020 (GCMS No. 2020/00161) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. मुकेश पुत्र बाबूलाल आयु 46 साल जाति हरिजन (मेहतर) निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायायल अति जिला कलक्टर करौली दिनांक 09.01.2017 मुकदमा नं. 49/16 उनवानी मुकेश बनाम सरकार एवं निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम दिनांक 09.08.2016 प्रकरण संख्या 22/16 उनवानी सरकार बनाम मुकेश।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री विष्णु चन्द बंसल, वकील
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान राजकीय पैरोकार।

नि र्ण य

दिनांक : 12.10.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 09.01.2017 एवं नायब तहसीलदार टोडाभीम के आदेश दिनांक 09.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने रिपोर्ट की है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.01 हैक्टै. किस्म चारागाह वांके ग्राम सुजानपुरा में आवास बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को अवधि 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया, साथ ही 50 गुना पेनल्टी कायम की। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही मानने हुये अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडैन्ट की ओर से पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषक हाजिर अदालत आये।
3. उभयपक्ष के अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.08.2016 पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अपीलांट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.07.2016 को अपीलांट उपस्थित हुआ और आदेशिका में न्यायालय द्वारा गलत तौर पर जबाब व साक्ष्य पेश नहीं करना गलत अंकित किया है जबकि जबाब को समय दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम तारीख पेशी पर ही अपीलांट का जबाब व साक्ष्य पेश नहीं करना विधि विरूद्ध दर्ज किया जाकर पत्रावली आदेश दिनाक 09.08.2016 नियत कर दी। दिनांक 09.08.2016 को अपीलांट के उपस्थित होने के बावजूद भी बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। आराजी खसरा नम्बर 615 रकवा 0.01 हैक्टे. पर इन्दिरा आवास बनाया गया था जिसपर से अपीलांट द्वारा कब्जा छोड दिया गया है साथ ही कथन किया कि हम जाति से हरिजन मेहतर है और हमारे घर गांव की आबादी से दूर ही होते हैं। ग्राम पंचायत ने ही हमें यहां पर हमारे पास आवास की भूमि न होने से आवास निर्माण की मौखिक सहमति दी थी और इसी आधार पर पंचायत के मौखिक आदेशानुसार स्वीकृत इंदिरा आवास का निर्माण कार्य इस भूमि पर हमारे द्वारा किया गया था। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा नहीं होने एवं भविष्य में कोई कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार टोडाभीम दिनांक 09.08.2016 व न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली दिनांक 09.01.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से होती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण अधीनस्थ

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालयों में प्रमाणित हुआ है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है, किन्तु अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं होने का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने का निवेदन किया है कि उसने विवादित भूमि से अपना अतिक्रमण हटा लिया है और भविष्य में वह विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा। अपीलान्ट के इस कथन से भी सहमत हुए बिना नही रहा जा सकता है कि अपीलांट हरिजन (मेहतर) जाति से हैं और सामान्यतः गावों में इनके आवास मूल आबादी से हटकर ही होते हैं लेकिन अपीलान्ट के पास आवास की भूमि न होने से ग्राम पंचायत ने उसको मौखिक रूप से इस भूमि पर निर्माण की अनुमति दी होगी। साथ ही इस संबंध में त्रुटि ग्राम पंचायत की मानी जावेगी क्योंकि इंदिरा आवास की मंजूरी ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा होने की स्थिति में दी जाती है। जब तक विधिक रूप से किसी व्यक्ति के पास आबादी का पट्टा उसके नाम न हो तब तक योजना की गाइडलाइन के तहत आवास स्वीकृत नही किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास एवं शास्ति की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि वह इस आदेश के पारित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोडाभीम के समक्ष इस आशय का 100/– रूपये का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण पूर्ण रूपेण हटा लिया है और भविष्य में कभी भी अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार टोडाभीम उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का मौके पर सत्यापन करेंगे। अपीलांट द्वारा कोई चूक किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर